झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...35........ वर्ष 20.22...

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री शिवलाल कुमार यादव, श्री प्रमोद राम एवं अन्य, ग्राम – दलपतपुर, प्रखण्ड- पिपरा, जिला- पलामू

DISPOSED
18/07/22

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

परिवादी श्री शिवलाल कुमार यादव, श्री प्रमोद राम एवं अन्य, ग्राम–दलपतपुर, प्रखण्ड–पिपरा, जिला–पलामू का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नं0 पर दिनांक–26.12.2021 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगीता स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध माह सितम्बर–2021 में NFSA मद में प्रत्येक यूनिट पर मात्र 3 कि0ग्रा0 अनाज दिये जाने एवं माह जून से नबम्बर–2021 तक के किरासन तेल का वितरण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।

आयोग के पत्रांक–WA/157/2021 दिनांक–04.01.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई थी। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है।

दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक–18.07.2022 को किया जाय। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है।

अभिलेख 18.07.2022 को उपस्थापित करें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx35

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	वाद सं0–34/2022 के मामले में आज दिनांक–18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाईं की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता स्पष्ट तौर पर किसी एक शिकायत की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं कर पा रहे। शिकायतकर्ता ने स्वयं यह कहा कि जिस राशन डीलर से उन्हें शिकायत है, वो डीलर लाभुकों से चार दिन पूर्व राशन कार्ड जमा करवा कर अंगूठा लगवा लेते हैं एवं सभी का रसीद रख लेते हैं। उस रसीद में 35 कि0ग्रा0 राशन का जिक्र रहता है। तत्पश्चात् दो या तीन दिन के बाद 35 कि0ग्रा0 राशन के स्थान पर 30 कि0ग्रा0 राशन दिया जाता है। आयोग शिकायतकर्ता को यह निर्देश देता है कि वे न स्वयं गलती करें और न लोगों को गलती करने दें। बिना राशन उठाये डीलर के पास राशन कार्ड जमा कर देना तथा अंगूठा लगा देना, यह नियम विरूद्ध है। ऐसे में आयोग निर्देश देता है कि अंगुठा लगाने के बाद उसी समय राशन लें एवं राशन लेते समय रसीद लें एवं रसीद में अंकित अनाज यदि नहीं दिया गया, तो वे शिकायत दर्ज कराएँ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू स्वयं स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि **ePos** में ऊँगलियों का निशान लेने के उपरांत उसी समय निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाए। इस निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx3	